

कार्यालय अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
संख्या:- 2024 / FP/UK/ROAD/11303/2015 देहरादून: दिनांक:

18 दिसम्बर, 2017

सेवा में,

प्रभारी सचिव,
वन एवं पर्यावरण अनुभाग-4,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:- जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज- 8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग (8.4 कि०मी०) के निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रा०वि०वि० को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/11303/2015

महोदय,

उपरोक्त विषयक वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव शासन को ऑनलाइन प्रेषित किया गया है। जिसकी हार्ड कॉपी आवश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित की जा रही है। अतः प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।
संलग्नक: उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

संख्या FP/UK/ROAD/11303/2015 तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक (केन्द्रीय) भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय, (उत्तर-मध्य क्षेत्र), 25 सुभाष रोड़, देहरादून।
2. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
3. मुख्य वन संरक्षक, गढ़वाल, पौड़ी।
4. वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून।
5. जिलाधिकारी, जनपद-उत्तरकाशी।
6. प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट।
7. अधिशासी अभियन्ता, पी०एम०जी०एस०वाई०, सिन्धुई खण्ड, पुरोला (उत्तरकाशी)।

(विनोद कुमार)

अपर प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी

भाग-IV

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिये)

परियोजना का नाम:- जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज- 8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग (8.4 कि०मी०) के निर्माण हेतु 4.165 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्रा०वि०वि० को प्रत्यावर्तन।

FP/UK/ROAD/11303/2015

1. टिप्पणी के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने या अन्यथा के लिये राज्य वन विभाग की विस्तृत राय और निर्दिष्ट सिफारिशें। (राय देते समय, सम्बन्धित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की प्रतिकूल टिप्पणी की सुस्पष्ट समीक्षा की जाय और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाय):

उपरोक्त योजना हेतु जनपद उत्तरकाशी में 3.395 है० सिविल सोयम वन भूमि एवं 0.77 है० आरक्षित वन भूमि अर्थात् कुल 4.165 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्तावित है जिसका अवलोकन करने पर पाया गया कि उपरोक्त मोटर मार्ग के निर्माण हेतु वन भूमि का सम्मिलित होना अनिवार्य है। प्रभागीय वनाधिकारी, अपर यमुना वन प्रभाग, बड़कोट तथा वन संरक्षक, यमुना वृत्त, देहरादून, द्वारा भी प्रस्ताव पर अपनी संस्तुति की गई है। अतः जनपद-उत्तरकाशी के विकासखण्ड नौगांव में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत फेज- 8 के अन्तर्गत सेमलसारी से गैर मोटर मार्ग (8.4 कि०मी०) के निर्माण के प्रस्ताव पर सैद्धान्तिक स्वीकृति हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर:

नाम व पदनाम: (विनोद कुमार भा.व.से.)

अपर प्रमुख वन संरक्षक, वन संरक्षण
एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून

सरकारी मोहर:

तिथि : 18 / 12 / 2017

स्थान : देहरादून